लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल - 462021
www.educationportal.mp.gov.in, www. shikshaportal.mp.gov.in

क्र./ एजुकेशन पोर्टल / विशेष सेल /2019 / 597 भोपाल,दिनांक 17/10/2019

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
समस्त जिले म.प्र.

विषय : स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की e-KYC किये जाने विषयक

विषयान्तर्गत स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर पूर्व से संधारित है | प्रत्येक लोक सेवक का यूनिक id एजुकेशन पोर्टल पर पूर्व से जनरेट किया गया है |

वर्तमान में अध्यापक संवर्ग से नवीन संवर्ग में नियुक्त लोक सेवकों का डाटा कोष एवं लेखा को ट्रान्सफर किया जाना है ताकि उनको 7^{th} वेतनमान का लाभ शीघ्र प्रदाय किया जा सके | कोष एवं लेखा द्वारा सत्यापित आधार की जानकारी अनिवार्यतः चाही गयी है | आधार सत्यापित / e-KYC होने के उपरांत आधार आधारित जानकारी कोष एवं लेखा को प्रदाय की जा सकेगी |

एजुकेशन पोर्टल पर संधारित ई-सेवा पुस्तिका में कई लोक सेवकों के नाम एवं पिता के नाम में आंशिक त्रुटियां है | e-KYC होने के उपरांत उनके नाम एवं पिता / पति का नाम आधार में दर्ज अनुसार किया जा सकेगा जिससे इस प्रकार की त्रुटियों में सुधार सुनिश्चित हो सकेगा |

e-KYC करने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर प्रावधान कर दिया गया है जिसे प्रत्येक लोक सेवक के द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर e-KYC आप्शन पर जाकर बिना किसी यूजर / पासवर्ड के अपना यूनिक आई डी और आधार नंबर की प्रविष्टि कर OTP प्राप्त किया जायेगा और OTP को प्रविष्ट कर सत्यापन किया जा सकता है | जिन लोक सेवकों का मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत नहीं होगा उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कियोस्क के माध्यम से किया जा सकेगा |

सम्बंधित लोक सेवकों के द्वारा ऑथेंटिकेशन किये जाने के उपरांत संकुल प्राचार्य / DDO द्वारा आधार आधारित नाम और एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज नाम दोनों को देखकर जानकारी सत्यापित की जाएगी | सत्यापन उपरांत सम्बंधिट की ई-सेवा पुस्तिका में आधार आधारित जानकारी यथा नाम / पिता का नाम / जेंडर/ जन्मतिथि / पता आदि जानकारी को अपडेट किया जायेगा | इससे त्रुटिपूर्ण नाम आदि की जानकारी भी सही दर्ज हो सकेगी|

अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी उपरोक्त कार्यवाही दिनांक 30 अक्टूबर २०१९ तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें |

(जयश्री कियावत)
आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्र./ एजुकेशन पोर्टल / विशेष सेल /2019 / 598 भोपाल,दिनांक 17/10/2019

प्रतिलिपि :

- प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन
- समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त संभाग
- श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, NIC की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु

आयुक्त,
लोक शिक्षण म.प्र.

Scanned by CamScanner

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की e-KYC किये जाने की प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अमले की जानकारी एजुकेशन पोर्टल पर पूर्व से संधारित है | प्रत्येक लोक सेवक का यूनिक **id** एजुकेशन पोर्टल पर पूर्व से जनरेट किया गया है |

एजुकेशन पोर्टल पर संधारित ई-सेवा पुस्तिका में कई लोक सेवकों के नाम एवं पिता के नाम में आंशिक त्रुटियां है | **e-KYC** होने के उपरांत उनके नाम एवं पिता / पति का नाम आधार में दर्ज अनुसार किया जा सकेगा जिससे इस प्रकार की त्रुटियों में सुधार सुनिश्चित हो सकेगा |

e-KYC करने के लिए एजुकेशन पोर्टल पर निम्न प्रक्रिया अनुसार सम्बंधित लोक सेवकों के द्वारा ऑथेंटिकेशन किये जाने की कार्यवाही स्वयं की जाएगी इसके उपरांत संकुल प्राचार्य / **DDO** द्वारा आधार आधारित नाम और एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज नाम दोनों को देखकर वास्तविक जानकारी सत्यापित की जाएगी |

सत्यापन उपरांत सम्बंधित की ई-सेवा पुस्तिका में आधार आधारित जानकारी यथा नाम / पिता का नाम / जेंडर/ जन्मतिथि / पता आदि जानकारी को अपडेट किया जायेगा | इससे त्रुटिपूर्ण नाम आदि की जानकारी भी सही दर्ज हो सकेगी|

e-KYC करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है : एजुकेशन पोर्टल पर **e-KYC** आप्शन का चयन करें :

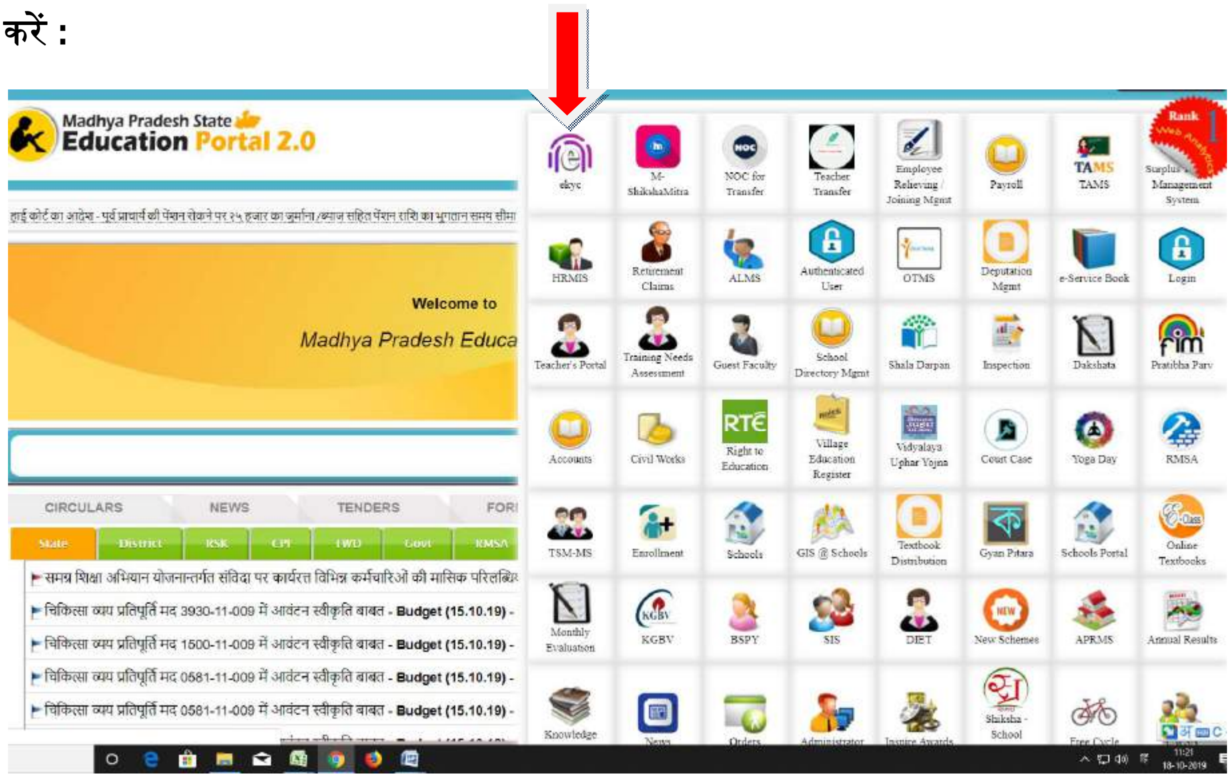

e KYC आप्शन का चयन करें

निम्न स्क्रीन पर अपना यूनिक id प्रविष्ट करें और कैप्चा प्रविष्ट कर वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करें ....

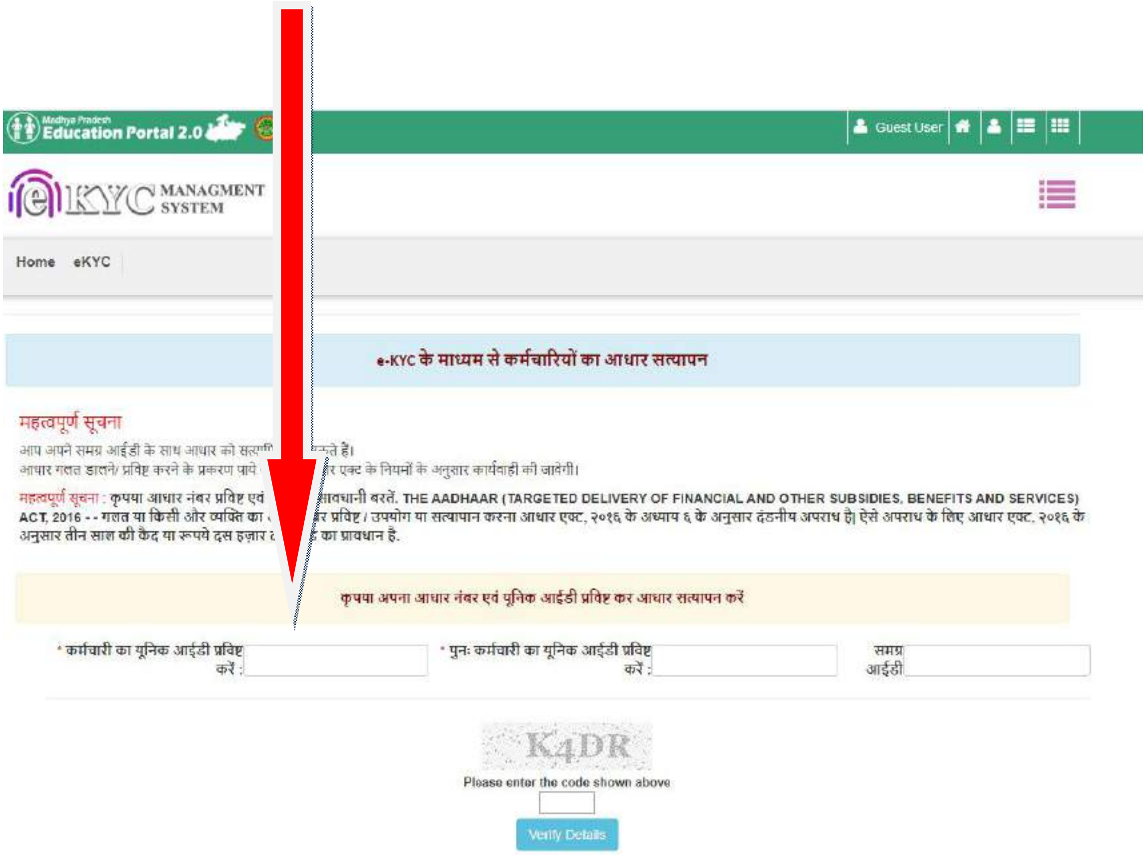

यूनिक id प्रविष्ट करने के उपरांत सम्बंधित का नाम आदि की जानकारी प्रदर्शित होगी | दिए गए बॉक्स में 12 अंकों का आधार नंबर प्रविष्ट करें ....और **“Request OTP from Aadhaar”** पर क्लिक करें | सम्बंधित के मोबाइल नंबर पर आधार (UIDAI) द्वारा **OTP** भेजा जायेगा | प्राप्त **OTP** को निम्न पेज पर प्रविष्ट किया जाये ....

ध्यान रहे यदि आपका मोबाइल नंबर आधार में पंजीकृत नहीं है तो **OTP** नहीं आएगा इसके लिए या तो आधार केंद्र के माध्यम से आधार में मोबाइल नंबर दर्ज करायें अथवा फिंगर प्रिंट के माध्यम से वेरिफिकेशन किया जा सकता है | फिंगर प्रिंट / बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए किसी भी कियोस्क पर अथवा जहाँ पर बायोमेट्रिक मशीने की उपलब्धता हो वहां से किया जा सकेगा ....

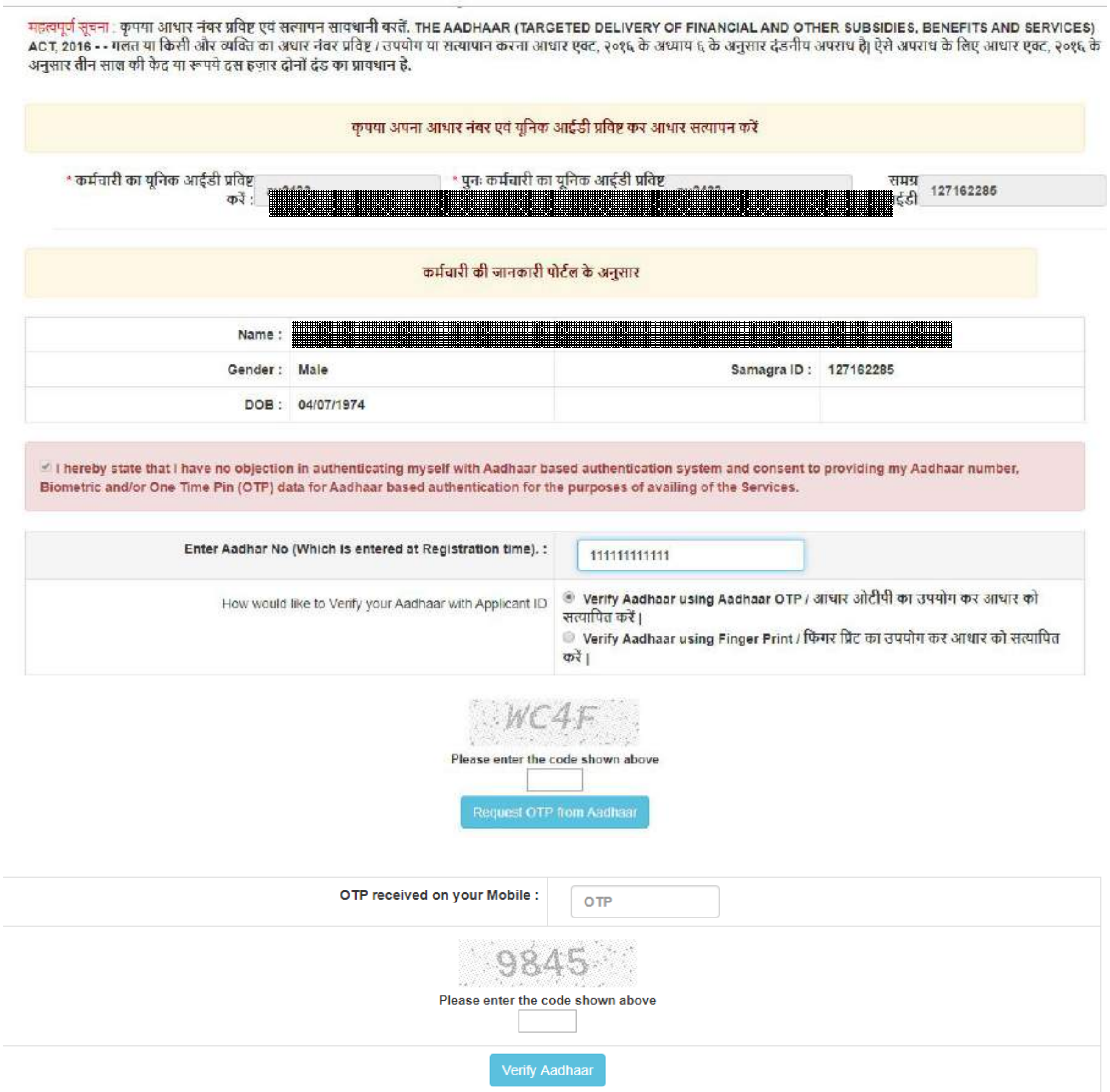

OTP प्रविष्ट करने के उपरांत आधार की जानकारी निम्नानुसार प्रदर्शित होगी : "कर्मचारी का आधार से सत्यापन करें" बटन पर क्लिक करें ....

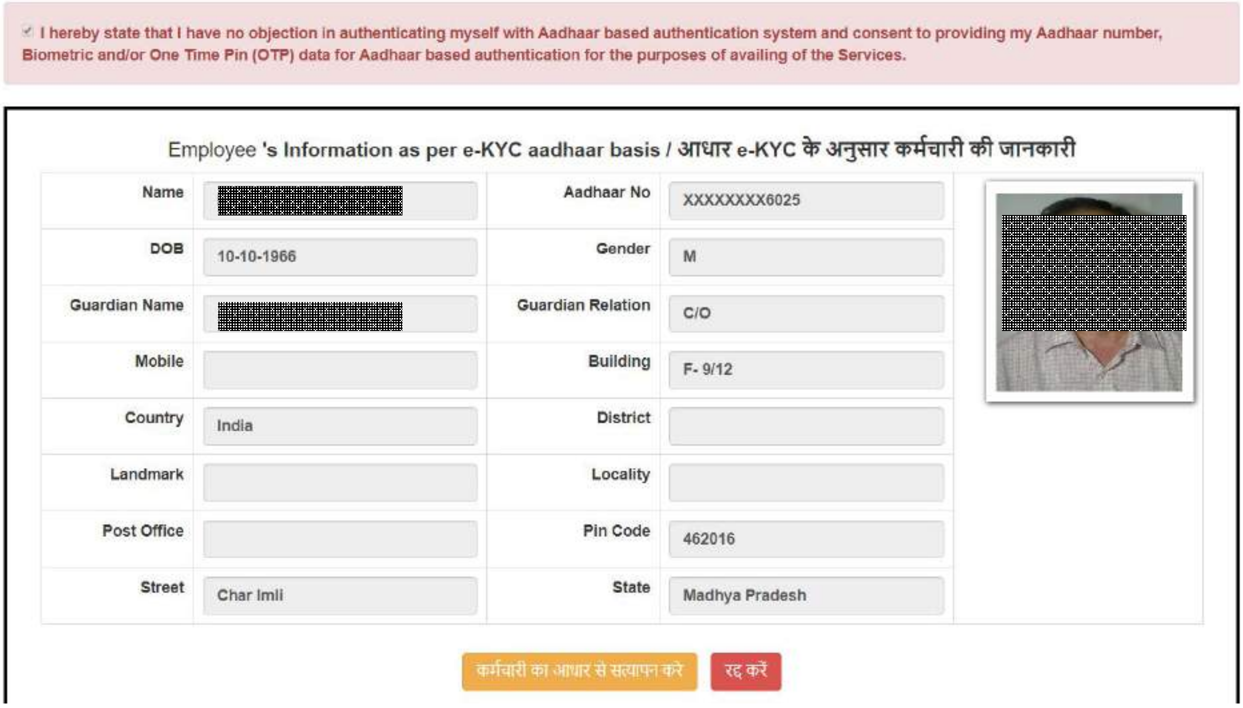

☑ I hereby state that I have no objection in authenticating myself with Aadhaar based authentication system and consent to providing my Aadhaar number, Biometric and/or One Time Pin (OTP) data for Aadhaar based authentication for the purposes of availing of the Services.

Employee 's Information as per e-KYC aadhaar basis / आधार e-KYC के अनुसार कर्मचारी की जानकारी

Name	[redacted]	Aadhaar No	XXXXXXXX6025
DOB	10-10-1966	Gender	M
Guardian Name	[redacted]	Guardian Relation	C/O
Mobile		Building	F- 9/12
Country	India	District	
Landmark		Locality	
Post Office		Pin Code	462016
Street	Char Imli	State	Madhya Pradesh

कर्मचारी का आधार से सत्यापन करें | रद्द करें

संकुल प्राचार्य / आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :

संकुल प्राचार्य / DDO द्वारा आधार आधारित नाम और एजुकेशन पोर्टल पर दर्ज नाम दोनों को देखकर वास्तविक जानकारी सत्यापित की जाएगी |

आहरण संवितरण अधिकारी / DDO द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर लॉग इन किया जाकर मेन मेनू में e-KYC आप्शन सेलेक्ट करें : निम्न स्क्रीन प्राप्त होगी :

वेरिफिकेशन आप्शन सेलेक्ट करने पर **ddo** अंतर्गत आने वाले एम्प्लोयी की सूची **(**जिन्होंने **e-kyc** किया है**)** निम्नानुसार प्रदर्शित होगी **:** सत्यापित करने के लिए "सत्यापित करें " पर क्लिक करें और वास्तविक जानकारी को सत्यापित **/** होल्ड करें **|**